बिहार सरकार

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

(योजना एवं विकास विभाग)

का०आ०स०–स्था०1/नि०1–04/15 80 पटना, दिनांकः 16-2-18

कार्यालय आदेश

श्री दिलीप कुमार सिंह, तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक–सह–धान क्रय पदाधिकारी, करगहर, रोहतास संप्रति निलंबित कनीय सांख्यिकी सहायक, जिला साख्यिकी कार्यालय, मधेपुरा को निगरानी धावा दल द्वारा 30000/– (तीस हजार) रूपये घूस लेते हुए गिरफ्तार किया गया था। इससे संबंधित निगरानी थाना कांड संख्या–19/2015 दिनांक 03.03.2015 धारा –7/13(2) सहपठित धारा 13(1) डी० भ्र०नि०अधि०–1988 के प्राथमिकी अभियुक्त रहने एव एतद् सबधी निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के पत्रांक–369 दिनांक 12.03.2015 से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में निदेशालय के का०आ०सं०–67 सहपठित ज्ञापांक–415 दिनांक– 01.04.2015 द्वारा इन्हें निलबित किया गया । पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के पत्रांक 419/अ०शा० दिनांक 19.03.2015 के आलोक में निदेशालय के का०आ०सं० 76 सहपठित ज्ञापांक 447 दिनाक 08.04.2015 द्वारा उनके विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गयी। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो से प्राप्त उक्त वर्णित प्रतिवेदनों के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 के तहत निदेशालय के का०आ०सं०–94 सहपठित ज्ञापाक 574 दिनाक 13 05.2015 द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी। इस विभागीय कार्यवाही में अपर समाहर्त्ता (विभागीय जॉच) रोहतास को संचालन पदाधिकारी एवं जिला साख्यिकी पदाधिकारी, रोहतास को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया था।

2. अपर समाहर्त्ता (विभागीय जॉच)–सह–संचालन पदाधिकारी, रोहतास के पत्राक–26 (मु०)/ वि०जॉ० दिनांक–16 12 2017 के द्वारा श्री दिलीप कुमार सिंह के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी ने श्री सिंह के स्पष्टीकरण एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के प्रतिवदेन के समीक्षोपरान्त निम्न जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया है :–

" श्री दिलीप कुमार सिह, प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, करगहर के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही वाद संख्या–01/15 प्रारभ करते हुए प्रपत्र 'क' में गठित आरोप (साक्ष्य सहित) इस कार्यालय के पत्रांक 07/वि०जॉ० दिनाक 08.06.2015 के द्वारा जिला सांख्यिकी पदाधिकारी–सह–प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी को आरोपी पर तामिला हेतु भेजा गया था। जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, रोहतास ने अपने पत्रांक 384 दिनांक 08.07 2015 के द्वारा आरोपी के स्थायी निवास स्थान के पता से डाक द्वारा भेजते हुए आरोपी की प्रति प्राप्त करा दिया गया है।

इसके बाद भी आरोपी से स्पष्टीकरण /जबाब प्राप्त नहीं होने पर पुनः इनके स्थानान्तरित स्थान जिला सांख्यिकी कार्यालय, मधेपुरा के पता पर स्मार पत्र पत्रांक 28/वि०जॉ० दिनांक–28.05.2016 द्वारा भेजा गया। इसके बावजूद भी आरोपी ने अपना जबाव/स्पष्टीकरण दाखिल नहीं किया। आरोपी ने एक आवेदन पत्र 12 08 2016 का लिखा हुआ जो कार्यालय को डाक द्वारा दिनांक 17.08.2016 को प्राप्त हुआ है। जिसमें यह लिखा गया है कि भवदीय द्वारा निर्धारित हर तिथि को मैं सुनवाई हेतु उपस्थित रहा हूँ। इस दौरान मेरे द्वारा न्यायालय में अपना पक्ष भी रखा गया है, जबकि आरोपी ने विभागीय कार्यवाही वाद संख्या 06/15 में उपस्थित होकर जबाव

दाखिल किया था, जिसकी कार्यवाही समाप्त हो चुकी है। विभागीय जॉच वाद संख्या 01/15 में आरोपी बराबर अनुपस्थित रहा है। उस आवेदन में यह अनुरोध किया है कि अगली तिथि निर्धारित की जाय, ताकि मैं अपने विरूद्ध लगाये गये वाद में अपना पक्ष /साक्ष्य रख सकूँ। इन्होंने किसी कागजात की मॉग नहीं किया। उसके बाद भी विगत कई तिथियों पर अनुपस्थित रहे हैं।

आरोपी दिनाक 08.12.2017 को उपस्थित होकर अपना जबाव/स्पष्टीकरण दाखिल करते हुए यह कहा कि विभिन्न कागजातों की आवश्यकता है, उसकी प्रति उपलब्ध कराया जाय। आरोपी को यदि किसी कागजात की आवश्यकता थी तो वे पहले ही कागजात की मॉग कर सकते थे। उनके द्वारा अब कागजातों की मॉग करने से जान–बूझकर विलंब करने की मानसिकता परिलक्षित होता है तथा इससे यह स्पष्ट होता है कि आरोपी को अपने बचाव में कुछ नहीं कहना है।

सचालन पदाधिकारी ने प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी का मंतव्य अंकित करते हुए लिखा है कि आवेदक द्वारा अपने स्पष्टीकरण में गठित आरोपो से इनकार करते हुए निगरानी की ट्रैप प्रक्रिया पर सवाल उठाया गया है, परन्तु ट्रैप के दौरान उनके शर्ट के बाये जेब से 30,000/–(तीस हजार) रूपया बरामद हुआ, जिसमे एक–एक हजार के तीस जी०सी० नोट पाये गये। जिनके नंबरों का मिलान प्री ट्रैप मेमोरेंडम में अंकित नबरों से किया तो एक समान पाया गया। सोडियम कार्बोनेट के घोल में आरोपी के दाहिने हाथ की अंगुलियों एवं बाँये हाथ की अगुलियों एवं बदन पर पहने शर्ट के बांयें पाकेट को धोये जाने पर सभी घोल का सफेद रग गुलाबी रग में परिवर्तित हो गया । अत: प्रपत्र 'क' में लगाये गये आरोप को आधारहीन नहीं कहा जा सकता ।

अंततः अपने मंतव्य मे सचालन पदाधिकारी ने उल्लेख किया है कि अभिलेख में संलग्न कागजात एवं प्राप्त मतव्य के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आरोपी श्री दिलीप कुमार सिंह, प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक –सह–धान क्रय पदाधिकारी, करगहर वर्त्तमान पदस्थापित सांख्यिकी कार्यालय, मधेपुरा के विरूद्ध आरोप पत्र प्रपत्र 'क' में लगाया गया आरोप सत्य प्रमाणित होता है।"

जिला पदाधिकारी, रोहतास ने भी अपने पत्रांक–1994 दिनांक–19.12.2017 द्वारा संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन पर सहमति व्यक्त की है।

3. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 18(3) में किए गये प्रावधान के आलोक मे सचालन प्रतिवेदन की प्रति श्री दिलीप कुमार सिंह को निदेशालय के पत्रांक 2860 दिनाक 26.12.2017 द्वारा भेजते हुए उनसे दिनांक 09.01.2018 तक अभ्यावेदन की मांग की गयी। इसके आलोक मे उनके आवेदन दिनाक 03.01.2018 द्वारा 15 दिनों के समय की मॉग की गयी, जिसे निदेशालय द्वारा स्वीकृत करते हुए उन्हे दिनांक 18.01.2018 तक अभ्यावेदन देने का समय दिया गया।

4. मागे गये अभ्यावेदन के आलोक में श्री दिलीप कुमार सिह ने अपने समर्पित अभ्यावेदन में ट्रैप की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए उल्लेख किया है कि संचालन पदाधिकारी ने वाद की सम्यक रूप से सुनवाई नही की है। इनके द्वारा कागजातो को उपलब्ध कराने की बात कही गई है जो उन्होने संचालन पदाधिकारी से किया था। श्री दिलीप कुमार सिंह द्वारा कोई ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है जो यह प्रमाणित करता है कि ये घूस लेते हुए रंगे हाथ नही पकडे गये है और निर्दोष हों। इस प्रकार इनके अभ्यावदेन में उठाये गये तथ्य स्वीकार योग्य नहीं है एवं इनका अभ्यावेदन अस्वीकृत किया जाता है।

5. उपर्युक्त सभी तथ्यों यथा– आरोप, आरोप की प्रकृति, संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवदेन एवं उस पर जिला पदाधिकारी की सहमति तथा जॉच प्रतिवेदन पर आरोपी कर्मी द्वारा समर्पित अभ्यावेदन की सम्यक समीक्षोपरान्त यह स्पष्ट होता है कि आरोपी कर्मी श्री दिलीप कुमार सिंह ने 30,000/– (तीस हजार) रूपये की रिश्वत ली थी जिसे निगरानी धावा दल ने उनके जेब से बरामद किया था। बरामद जी०सी०नोट के नम्बरों का मिलान प्री ट्रैप मेमोरेडम में अंकित नम्बरों से करने पर एक समान पाया गया एवं सोडियम कार्बोनेट के घोल में आरोपी के हाथों की अंगुलियों और बदन पर पहने शर्ट के बाये पॉकेट को धोये जाने पर सभी घोल का रंग सफेद से गुलाबी हो गया। इस प्रकार आरोपी कर्मी पर रिश्वत लेने का आरोप प्रमाणित होता है जो उनके भ्रष्ट आचरण एवं घोर कदाचार का परिचायक है।

6. उक्त वर्णित प्रमाणित आरोप के लिए संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री दिलीप कुमार सिंह को सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया है।

7. अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री दिलीप कुमार सिंह, तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक–सह–धान क्रय पदाधिकारी, करगहर, रोहतास संप्रति निलंबित कनीय सांख्यिकी सहायक, जिला साख्यिकी कार्यालय, मधेपुरा पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 14 मे किये गये प्रावधानों के तहत सेवा से बर्खास्तगी का दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

ह०/–

(पूनम)

निदेशक

ज्ञापाकः– स्था०1/वि०3–12/14 471 पटना, दिनांक :– 16.2.18

प्रतिलिपिः– सचिव के आप्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना।

2. जिला पदाधिकारी, रोहतास/मधेपुरा

निबंधित

3. पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना को उनके पत्रांक 369/ अ०शा० दिनांक 12.03.2015 एवं पत्रांक 419 /अ०शा० दिनांक 19.03.2015 के आलोक में।
4. जिला कोषागार पदाधिकारी, रोहतास/मधेपुरा ।
5. जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, रोहतास/मधेपुरा ।
6. प्रंखड विकास पदाधिकारी, करगहर, रोहतास।
7. श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को निदेशालय के वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
8. श्री दिलीप कुमार सिह, निलंबित कनीय सांख्यिकी सहायक, जिला सांख्यिकी कार्यालय, मधेपुरा, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16/2/18

निदेशक